प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-1 के मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में द्वितीय किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मे0का0जौ0/2022/749, दिनांक 06.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर हेतु गैर वेतन मद में शासनादेश दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 83.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-05-105-0386-" में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 41.67 लाख (रू0 इकतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंकपोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।/
3. प्रधानाचार्य/वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज जौनपुर द्वारा वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून , 2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,67,000 (रुपये इकतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में **अनुदान संख्या-**031 **लेखा शीर्षक** 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0386-राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर के **मानक मद** 20-सहायता अनुदान सामान्य-(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-236-दस-2022-23, दिनांक 09 सितम्बर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जौनपुर।
6-कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।